न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 167/2010 (उदयपुर डिक्री)

1. बंशीलाल पिता भूरालाल जी लोहार, निवासी पुरोहितान की मादड़ी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. इस्माईल खां पिता सलामत खां जी मुसलमान, निवासी पुरोहितान की मादड़ी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. उमरावसिंह नागौरी पिता स्वर्गीय हिम्मतसिंह जी (मृतक) के बजाय :–

1/1. श्रीमती मीनाक्षी धर्मपत्नी श्री उमरावसिंह जी नागौरी, निवासी 133, मालदास स्ट्रीट, उदयपुर (राज.)

1/2. शलभ पिता श्री उमरावसिंह जी नागौरी, निवासी 133, मालदास स्ट्रीट, उदयपुर (राज.)

1/3. प्रियंक पिता श्री उमरावसिंह जी नागौरी, निवासी 133, मालदास स्ट्रीट, उदयपुर (राज.)

2. प्रकाश नागौरी पिता स्वर्गीय हिम्मतसिंह जी नागौरी, निवासी न्यू अहिंसापुरी, उदयपुर (राज.)
3. देवीलाल चौधरी पिता का नाम नामालूम, निवासी मातेश्वरी रेस्टोरेन्ट, पुरोहितान की मादड़ी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
4. निर्मल दासोत पिता छगनलाल जी दासोत, निवासी पुरोहितान की मादड़ी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
5. मोहन गमेती पिता का नाम नामालूम, निवासी पुरोहितान की मादड़ी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
6. भंवरलाल पिता चौथमल जी, निवासी पुरोहितान की मादड़ी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
7. कालू पिता दौलतराम जी हरिजन, निवासी पुरोहितान की मादड़ी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
8. कालू हरिजन पिता का नाम नामालूम, निवासी पुरोहितान की मादड़ी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
9. नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0–1955 विरूद्ध निर्णय
एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी गिर्वा
दिनांक 27.02.2007 प्र.सं. 188/06

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1. श्री संजय बोहरा अभिभाषक अपीलान्टगण
2. श्री ..... अभिभाषक रेस्पो॰ सं॰ 1

———:::———

निर्णय दिनांक 12–09–2018

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा अपीलान्टगण व अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पुरोहितों की मादड़ी में वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी नंबर 812 मी., 816 मी., 611, 613, 815, 817 कुल किता 6 रकबा 1.5200 हैक्टर भूमि स्थित है। उक्त आराजियात पर वादीगण उनके पिता के स्वर्गवास के बाद से आते–जाते रहते हैं तथा कभी–कभी अपने कार्य में व्यस्त रहने की वजह से कुछ समय के अन्दर में भी आते–जाते रहते हैं। उक्त भूमि बीड़ होकर कृषि लायक नहीं है। वादीगण के पिता का स्वर्गवास दिनांक 06–12–2004 को हो जाने के कारण वादीगण बहुत सदमे में रहे और जब वादीगण ने अपने–आपको सम्भाला एवं दिनांक 12–08–2006 को वादीगण सायं विवादग्रस्त भूमि देखने गये तो देखा कि तीन–चार व्यक्ति अलग–अलग करीब 2400 वर्गफिट एरिये पर मकान का निर्माण करवा रहे हैं। इस पर वादीगण ने मौके पर पता किया कि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 वादीगण की कृषि भूमि पर अनाधिकृत निर्माण करवा रहे हैं तो वादीगण तीनों ही प्रतिवादीगण से मिले और उन्हें कहा कि हमारी जमीन पर आप निर्माण कैसे कर रहे हैं तो प्रतिवादीगण ने कहा कि हम तो निर्माण कर रहे हैं बन्द नहीं करेंगे। प्रतिवादीगण को वादीगण की कृषि भूमि में इस प्रकार का निर्माण कराने का कोई अधिकार नहीं है। वादीगण को मौके पर जाने पर यह भी पता चला कि प्रतिवादी संख्या 4 से 7 करीब 5 वर्षो से वादीगण की कृषि भूमि में वादीगण की स्वीकृति के बिना नाजायज मकान का निर्माण कर निवास कर रहे हैं, जिसका एरिया 15000 वर्गफिट है। इस

पर वादीगण दिनांक 12–08–2006 को ही प्रतिवादी संख्या 4 से 7 से मिले एवं उनके कहा कि आपने हमारे भूमि पर अनाधिकृत निर्माण किया है, तो उन्होंने कहा कि आपको जो करना है कर लो, हम तुम्हें नहीं जानते तथा प्रतिवादी संख्या 7 वादग्रस्त कृषि भूमि पर गेहूँ पीसने की चक्की लगाकर व्यवसाय कर रहा है, जिसे करने का प्रतिवादी संख्या 7 को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। वादीगण की उक्त खातेदारी भूमि पर प्रतिवादी संख्या 8 ने करीब 1000 वर्गफीट पर नाजायज कब्जा करने की गरज से एक देवरे का निर्माण कर दिया है तथा आगे और करना करना चाह रहा है, जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है। निवेदन किया कि वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा दिलायी जावे कि प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजियात में वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें तथा वादग्रस्त भूमि के कुछ भाग पर अवैध निर्माण करा लिया है उसे गिराया जाकर कब्जा वादीगण को दिलाया जावे तथा अन्य विधिक अनुतोष दिलाया जावे।

प्रतिवादी संख्या 7 व 8 वकालत पत्र प्रस्तुत हुआ, लेकिन उनके बाद कोई उपस्थित नहीं हुआ न जवाब प्रस्तुत हुआ। प्रतिवादी संख्या 5 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। वादीगण ने अपनी शहादत में शपथ पत्र प्रस्तुत किये। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 27–02–2007 से वादीगण का स्थाई निषेधाज्ञा का वाद डिक्री किया, जिससे रूष्ट होकर प्रतिवादी संख्या 5 व 7 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 27–07–2010 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय प्रार्थीगण की मौजूदगी में पारित नहीं किया गया है तथा उन्हें उक्त डिक्री का ज्ञान तब हुआ जब दिनांक 21–07–2010 को पटवारी हल्का ने बताया कि इस मामले में आपके विरूद्ध हकरसी चल रही है व डिक्री 2007 में ही पारित हो चुकी है, तो प्रार्थीगण ने दिनांक 22–07–2010 को फैसले की नकल हेतु आवेदन किया एवं नकलें प्राप्त होते ही अपील प्रस्तुत कर दी। अतएवं न्यायहित में दिनांक 27–02–2007 से दिनांक 21–07–2010 तक का समय कण्डोन फरमाया जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

दफा 5 जाब्ता मयाद के आवेदन का जवाब रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 के सम्मन की तामिल अधिनस्थ न्यायालय के मुकदमे में व्यक्तिगत तौर पर दिनांक 12–09–2006 को हुई है। अपीलान्ट संख्या 1 बंशीलाल ने स्वयं अपने सम्मन प्राप्त किये हैं तथा अपीलान्ट संख्या 2 के सम्मन उसके पुत्र संजय खां ने दिनांक 12–09–2006 को प्राप्त किये हैं, जो तारीख पेशी दिनांक 14–09–2006 के थे, किन्तु इसके बावजूद वे दिनांक 14–09–2006 को उपस्थित नहीं हुए तथा आगामी तारीख पेशी दिनांक 30–09–2006 को भी अपीलार्थीगण अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुऐ। इस कारण उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी है एवं इसके बाद भी दिनांक 31–01–2007, 18–02–2007, 19–02–2007 व दिनांक 27–02–2007 की पेशियों पर भी इनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। इसके बाद भी अपीलान्टगण द्वारा अपील प्रस्तुत करने की दिनांक 20–07–2010 तक भी अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर मुकदमें को दो तरफा किये जाने बाबत् कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। देरी का कोई पर्याप्त कारण नहीं बताया गया है, जो वांछनीय है। अपीलान्टगण द्वारा नाजायज निर्माण किया गया है, जिसे गिराया जाना आवश्यक है। अपील 3 माह 11 वर्ष बाद प्रस्तुत की गयी है, जिसका कोई उचित कारण नहीं बताया गया है। विशेष कथन में निवेदन किया कि अपीलान्ट अपील की कलम संख्या 1 में जिस विक्रय पत्र का हवाला दे रहे हैं वह धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विरूद्ध है।

प्रकरण में दौराने कार्यवाही रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की मृत्यु हो जाने से उनके कायम मुकाम संस्थित किये गये।

दौराने बहस वकील रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा लिखित बहस भी प्रस्तुत की गयी, जिसमें निवेदन किया कि अपीलान्ट सख्या 1 को दिनांक 14–09–2006 की पेशी के लिए दिनांक 12–09–2006 को व्यक्तिगत रूप से सम्मन की तामिल हुई है तथा अपीलान्ट संख्या 2 के सम्मन उसके पुत्र संजय खां ने प्राप्त किये हैं। इसके बावजूद भी अपीलान्टगण तारीख पेशी दिनांक 14–09–2006 को अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 14–09–2006 को वकालत पत्र भी प्रस्तुत हुआ है, परन्तु जवाब प्रस्तुत नहीं हुआ है। अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक

27–02–2007 निर्णय पारित करते हुए वादी का स्थाई निषेधाज्ञा का वाद डिक्री किया।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर दफा 5 जाब्ता मयाद के आवेदन पर वकील अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के वारिसान की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ..... की बहस सुनी गयी।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तथा समायत शुदा बहस पर मनन किया गया एवं पेश शुदा न्यायिक नजीरों का अध्ययन किया गया तो यह पाया कि प्रकरण में जहां तक मयाद का प्रश्न है, अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह सुस्पष्ट है कि अपीलान्ट संख्या 1/प्रतिवादी संख्या 5 बंशीलाल को अधिनस्थ न्यायालय की तारीख पेशी दिनांक 14–09–2006 के सम्मन की दिनांक 12–09–2006 को उसको व्यक्तिगत तामिल हुई है तथा अधिनस्थ न्यायालय में बाद तामिल रिपोर्ट दिनांक 12–09–2006 को पेश की जा चुकी है। इसी आधार पर अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 30–11–2006 को उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये हैं। इसी प्रकार अपीलान्ट संख्या 2/प्रतिवादी संख्या 7 इस्माईल खां के दिनांक 14–09–2006 के सम्मन उसके पुत्र संजय खां ने दिनांक 12–09–2006 को प्राप्त किये हैं, जो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 17–08–2006 को जारी किये गये हैं एवं इसी आधार पर उनके विरूद्ध दिनांक 30–11–2006 को एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये हैं। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड से यह सुस्पष्ट होता है कि इस्माईल की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीश चन्द्र पाल व श्री काशीराम मेघवाल को दिनांक 14–09–2006 को दिया गया है। दिनांक 14–09–2006 को पीठासीन अधिकारी उपस्थित नहीं होने से दिनांक 04–10–2006 के लिए एवं दिनांक 04–10–2006 के बाद पत्रावली दिनांक 30–11–2006 के लिए नियत की गयी, जिस दौरान अपीलान्टगण के अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। अपीलान्टगण की तामिल विधिवत रूप से होना पत्रावली के रेकार्ड से सुस्पष्ट है तथा उन्हें प्रकरण की जानकारी दिनांक 14–09–2016 से होना निसंदेह प्रकट होता है। दिनांक 14–09–2006 को जानकारी होने के बाद से लेकर दिनांक 27–02–2007 तक करीब 5 माह तक प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय में चलता रहा एवं इस दौरान भी अपीलान्टगण उपस्थित नहीं हुए।

तद्नुसार उनका यह कथन कि उन्हें दिनांक 21–07–2010 को पटवारी हल्का से उक्त प्रकरण की जानकारी हुई, झूठे एवं मिथ्या कथन हैं।

प्रकरण में वकील रेस्पोन्डेन्ट द्वारा अपने जवाब व लिखित बहस के साथ निम्नानुसार न्यायिक नजीरें प्रस्तुत की :–

1. 2010 AIHC पेज 2554 (सिक्किम हाई कोर्ट)
2. 2014 AIR CC पेज 1802 (हिमाचल प्रदेश)

उपरोक्त दोनों न्यायिक नजीरों में यह सुस्पष्ट रूप से आख्यापित किया गया है कि विलम्ब की अवधि को कण्डोन किये जाने के लिए उचित एवं पर्याप्त आधार होने चाहिए, जो इस प्रकरण से सुसंगत हैं।

इसके विपरीत वकील अपीलान्ट द्वारा अपने समर्थन में निम्नानुसार न्यायिक नजीरें प्रस्तुत की गयी हैं :–

1. RRD 1992 पेज 337
2. RRD 1992 पेज 238
3. RRD 1992 पेज 17
4. RRT 2018 (1) पेज 601
5. RRT 2017 (2) पेज 1104
6. CT 2010 (2) पेज 689 सुप्रिम कोर्ट
7. RRT 2011 (1) पेज 602 सुप्रिम कोर्ट

उपरोक्त सभी न्यायिक नजीरों में मयाद के बिन्दु पर न्यायालय द्वारा विवेक पूर्ण निर्णय किये जाने के अभिमत व्यक्ति किये गये हैं तथा मयाद कण्डोन किये जाने में सहानुभूति पूर्वक रूख अपनाये जाने का अभिमत व्यक्त किया गया है, परन्तु इस प्रकरण में हमारे द्वारा यह पाया गया कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्टगण जानबूझकर बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे हैं। अपीलान्ट संख्या 1 को व्यक्तिगत तामिल हुई है तथा अपीलान्ट संख्या 2 के पुत्र ने उसके सम्मन प्राप्त किये हैं तथा अपीलान्ट संख्या 2 द्वारा अधिवक्ता भी नियुक्त किया गया है, जिनके द्वारा दिनांक 14–09–2006 को अधिनस्थ न्यायालय में अपना वकालतनामा प्रस्तुत किया गया है, परन्तु इसके बावजूद भी उनकी ओर से कोई जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं बाद में भी अपीलान्टगण के अनुपस्थित रहने के कारण दिनांक 30–11–2006 को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्टगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की

गयी है। दिनांक 14–09–2006 को जानकारी होने के बाद दिनांक 27–02–2007 तक प्रकरण चलता रहा एवं इस 5 माह की अवधि में भी अपीलान्टगण अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय के 3 वर्ष 3 माह तक अपीलान्टगण निष्क्रिय रहे हैं एवं अधिनस्थ न्यायालय में आदेश 9 नियम 13 जा.दी. के तहत कार्यवाही करने के स्थान पर इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की है, जिसके लिए दफा जाब्ता मयाद के आवेदन में जो आधार लिये गये हैं, वे न तो उचित हैं न ही पर्याप्त। न्यायालय किसी भी पक्षकार को न्याय प्रदान करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, परन्तु यदि प्रकरण में कोई पक्षकार ही निष्क्रिय रहे, तो न्यायालय उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। इस प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी होने के बावजूद अपीलान्टगण द्वारा 3 वर्ष 3 माह विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गयी है, जिसके लिए जानकारी का आधार पटवारी द्वारा दिनांक 21–07–2010 को दिया जाना बताया है, जो न तो उचित है, न ही पर्याप्त, बल्कि हमारे द्वारा उपर किये गये विवेचन अनुसार अपीलान्ट ने झूठे एवं मिथ्या कथन किये हैं व झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत किया है।

उपरोक्तानुसार हम यह पाते हैं कि अपील स्पष्ट रूप से बेरून मयाद है। अतएवं अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 27–02–2007 यथावत रखी जाती है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 12–09–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

बंशीलाल पिता भूरालाल जी लोहार निवासी पुरोहितान की मादड़ी, तह0 गिर्वा, जिला उदयपुर व अन्य बनाम **उमरावसिंह नागौरी मृतक के बजाय श्रीमती मीनाक्षी धर्मपत्नी उमरावसिंह नि0 133, मालदास स्ट्रीट, उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**167 / 2010**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**गिर्वा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**27**.....माह.....**07**.....**2007**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**12**....माह.....**09**.....सन् **2018** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री संजय बोहरा .....** .मिनजानिब अपीलान्ट व...**श्री .....**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 27–02–2007 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**12**.....माह.....**09**.....**2018** को जारी किया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।